

31 $\frac{12}{19}$

तहसीलदार (भू. अ.) खण्डेला द्वारा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना में मार्गदर्शन चाहा जाने पर पञ्चवली केमल रिकार्ड से तलख की जाका पेश हुई। तहसीलदार खण्डेला के पत्र का अपलोड करने पर विदित हुआ कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 27/12/2019 में ख. नं. 4226 रुबा 0.35 हे. के सम्बन्ध में वादीगण को खानेदार कहरत कार घोषित किया जाकर उम्ह ख. नं. से पुत्रिवली सं. $\frac{3}{1}$, $\frac{3}{2}$, 4 व 10 का नाम हटाफ किया जाने का संकेत किया गया है किन्तु उम्ह ख. नं. में पुत्रिवली सं. 5 भी खानेदार कहरत कार है जो कि सद्वन से लिपीबिप पुत्रिवली सं. 5 का नाम हटाफ किया जाने से पुरिपश
गया। हुए

ख
म

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

अतः ज्ज्यायालय हाफा द्वारा पारित निर्णय
खं डिग्री दिनांकित 27/12/2019 में संशोधन
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि श्रुति
ख.नं. 4226 के सम्बन्ध में सम्पूर्ण रकबे का
वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया
जाकर उम्त ख.नं. से उत्तिवदी सं. $\frac{3}{1}$, $\frac{3}{2}$,
4, 5 व 10 का नाम दर्ज किया जाता है,
पढा जावेतचा श्रुति ख.नं. 4204 रकबा 3.94 है
में से 0.43 है श्रुति का वादीगण की खातेदारी
श्रुति ख.नं. 4205 से सटाकर वादीगण को खातेदार
काश्तकार घोषित किया जाता है, पढा जावे |
शेष निर्णय बघावत रहेजा | श्रुत निर्णय दिनांकित
27/12/19 व संशोधित निर्णय 31/12/2019 के
अनुसार शतस्व रिकार्ड में अकल दरमद हो पजवली
पुनः फैसल रिकार्ड में शामिल हो |



सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला